न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री बनवारीलाल आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 524/2019 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. मदनलाल पुत्र श्री गीधाराम जाति जाट निवासी ढाणी लेघान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
2. मीरा पत्नी श्री गीधाराम जाति जाट निवासी ढाणी लेघान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
3. सुल्तान पुत्र श्री गीधाराम जाति जाट निवासी ढाणी लेघान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
4. हरीराम पुत्र श्री गीधाराम जाति जाट निवासी ढाणी लेघान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील–वादीगण

पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 27/01/2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादीगण द्वारा दिनांक 24.12.2019 को विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि वादीगण के नाम तहसील रावतसर की रोही मौजा बिसरासर के खाता संख्या 863/423 के खसरा नम्बर 1482/835 की 12.2160 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण की रोही मौजा बिसरासर के खाता संख्या 863/423 के खसरा नम्बर 1482/835 की 12.2160 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम गोधाराम भूलवंश दर्ज हो गया, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादीगण के पिता/पति का सही नाम गीधाराम हैं जो वादीगण के परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व खाता संख्या 200/201 की कृषि भूमि तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज हैं। लेकिन वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम गोधाराम दर्ज है। जिससे वादीगण को कृषि सुधार हेतू मिलने वाली राज्य सरकार की सुविधा व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भारी परेशानी होती है। इसलिए वादीगण उक्त कृषि भुमि में दर्ज गलत नाम को दूरूस्त करवाकर गीधाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता/पति के गलत नाम गोधाराम के नाम से अंकन को दुरूस्त करने व उसके स्थान पर गीधाराम का अंकन दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 12.12.2019 को इंन्कार कर दिया। यही आधार वाद हैं। वादीगण के वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित की कृषि भुमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम गलत दर्ज रहने से उसके अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं तथा उसे बैंक से कृषि सुधार हेतू अनुदान प्राप्त करने व अन्य कार्य करवाने में कठिनाई होती हैं। जिस कारण वादीगण अपने पिता/पति के गलत नाम के अंकन को दूरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार दावा पेश कर वादीगण ने निवेदन किया कि रोही मौजा बिसरासर के खाता संख्या 863/423 के खसरा नम्बर 1482/835 की 12.2160 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में दर्ज वादीगण के पिता/पति के गलत नाम गोधाराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मदनलाल पुत्र गीधाराम, मीरा पत्नी गीधाराम, सुलतान पुत्र गीधाराम, हरिराम पुत्र गीधाराम अकवाम जाट निवासीगण ढाणी लेघान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0 अंकित करने की आज्ञाप्ति पारित की जाकर भु–राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। वादीगण ने अपने दावा की ताईद में दस्तावेजों की सुची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी रोही मौजा बिसरासर बहक मदन वगैरह, नकल जमाबन्दी रोही ढाणी लेघान बहक मदनलाल वगैरह, फोटोप्रति राशनकार्ड, भूमि विक्रय पत्र बहक गीधाराम, फोटोप्रति पहचान पत्र, आधारकार्ड बहक वादीगण पेश किये।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Scanned by TapScanner

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की तरफ से तहसीलदार राजस्व सावतसर ने अपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसे शामिल फाईल किया गया। स्टेट जबाब में प्रतिवादी ने वादी के दावा की मद सं. 1 को तकमिलन, मद सं. 2 ता 4, 6 को लाईल्मी, सिद्ध करने का भार वादी पर, मद सं. 5, 7 को अस्वीकार व मद सं. 8, 9 को कानूनी बताते हुए जबाब के अन्त में राज्यहित को सुरक्षित रखकर वाद डिकी किया जाना उचित बताया। साक्ष्यवादी में वादी मदनलाल उपस्थित आया व शपथ पत्र पेश किया। इसके अलावा वकील वादी ने बतौर दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। वकील वादी ने वाद पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी रोही ढाणी लेघान बहक मदनलाल वगैरह, फोटोप्रति राशनकार्ड, भूमि विकय पत्र बहक गीधाराम, फोटोप्रति पहचान पत्र, आधारकार्ड बहक वादीगण व सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक आदि से जाहिर होता है कि वादीगण के पिता/पति का सही नाम गीधाराम है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा बिसरासर के खाता संख्या 863/423 के खसरा नम्बर 1482/835 की 12.2160 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में दर्ज मदन पुत्र गोधाराम, मीरा पत्नि गोधाराम, सुलतान पुत्र गोधाराम, हरिराम पुत्र गोधाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र गीधाराम, मीरा पत्नी गीधाराम, सुलतान पुत्र गीधाराम, हरिराम पुत्र गीधाराम जाति जाट निवासी ढाणी लेघान दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 27/01/2020 को सुनाया गया।

(बनवारीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सावतसर

Scanned by TapScanner